

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 1239 (भाग 1)

दिनांक 27/09/2023

विषय: आई एस 1239 (Part 1):2004 इस्पात की नालियाँ, नलिकाकार समग्रियाँ तथा इस्पात की अन्य फिटिंगें का संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल।

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) आई एस 1239 (भाग 1):2004 का अनुमोदित संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Information→ Product Manual" के अंदर होस्ट कर दिया गया है।
- 3) इनपुट सामग्री की आवश्यकताओं को संशोधित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण की योजना को संशोधित किया गया है
- 4) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं लाईसेंसधारियों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(शिवम आहूजा)
वैज्ञानिक-सी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 1239 (Part 1)

Dated: 27/09/2023

Subject: Revised Product Manual for Steel Tubes, Tubulars and Other Wrought Fittings Part 1: Steel Tubes According to IS 1239 (Part 1):2004

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for IS 1239 (Part 1):2004 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Information→ Product Manual".
3. The Scheme of Inspection and Testing has been revised to modify the requirements of input material.
4. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all applicants and licensees within 7 days.

(Shivam Ahuja)
Scientist-C

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet